

दिल्ली विधान सभा

सभाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
सोमवार, 25 सितम्बर, 1995 / आश्विन 04, 1917 §शक§

संख्या. 214

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, दक्षिणी ज़िला, नई दिल्ली से दिनांक: 20 सितम्बर, 1995 का निम्नलिखित, वेतार अन्देश 21 सितम्बर, 1995 को प्राप्त हुआ :

" श्री शीश पाल, विधायक §निर्दलीय§, दिल्ली को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 20. 9. 95 को अपराहन 1. 20 बजे कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्पत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 20. 9. 95 को अपराहन 2. 05 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & Other matters)

Monday, September 25, 1995/Ashvina 04, 1917 (Saka)

No.214

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 20.9.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi was received on 21st September, 1995 :-

"Shri Shish Pal, M.L.A. (Independent) Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 1320 hours on 20.9.1995 for disobeying the lawful directions of Police at Qutub Institutional Area, New Delhi.

He was released at 1405 hours, the same day i.e. 20.9.1995."

P.N. GUPTA
SECRETARY